:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :– धीरेन्द्र सिंह

मूकदमा नम्बरः– 1/21 राजस्व वाद

1. श्री विष्णुराम पाटीदार निवासी चिखली तहसील चिखली जिला डूँगरपुर राज

वाद

बनाम

1. श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार चिखली जिला डूँगरपुर

प्रतिवादी

:: निर्णय :: दिनांक 22/04/2021

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक गॉव चिखली तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान का स्थायी निवासी है।

यह कि आवेदक के कब्जे काश्त की रिकॉर्डेड खातेदारी आराजी ग्राम चिखली में जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या नया 623, खसरा नम्बर कमशः 2989, 3041, 3052, 3070, 3099, 3216, 3318, 3319, 3332, 3361, 3398, 3420, 3474, 3500, 4353/2982 खेत किता 15 कुल रकबा 1.9011 हैक्टेयर होकर स्थित है। वर्तमान में कब्जा मौके पर आवदेक का यथावत रूप से बंना हुआ है।

यह कि आवेदक ने अपने कब्जे काश्त की वादग्रस्त आराजी पर लोन लेने हेतु आवेदक ने खाते की जमाबंदी नकल निकलवायी तो पता चला कि हाल जमाबन्दी में वादी का नाम वेलजी जिला रतनजी नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जबकि वेलजी पिता रतनजी नाम का कोई पुरूष नहीं है। आवेदक के पिता रतनजी की मृत्यु के पश्चात कृषि भूमि के खोले गए नामान्तरण में आवेदक का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है।

यह कि जरिये इन्द्राज दुरस्ती ग्राम चिखली में खाता संख्या 623, खसरा नम्बर कमशः 2989, 3041, 3052, 3070, 3099, 3216, 3318, 3319, 3332, 3361, 3398, 3420, 3474, 3500, 4353/2982 खेत किता 15 का कुल रकबा 1.9011 हैक्टेयर में आवेदक का नाम दर्ज कर आवेदक को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है।

यह कि हाल जमाबन्दी में वादग्रस्त आराजी में वेलजी पिता रतनजी नाम का कोई पुरूष नहीं होने व राजस्व कर्मचारियों से गलत अंकित हो जाने से वेलजी पिता रतनजी का नाम विलोपित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

यह कि अप्रार्थी को जरीए स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी आवेदक को मात्र राजस्व कर्मचारियों की गलती के आधार पर वादग्रस्त आराजी से बेदखल न करें।

यह कि वादग्रस्त आराजी आवेदक के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी होने तथा वादग्रस्त भूमि पर आवेदक का जन्म से अधिकार निहीत होने से आवेदक के पक्ष में है। ऐसे में आवेदक विष्णुराम पिता रतनजी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्त नहीं किए जाने पर आवेदक को भारी आर्थिक क्षति होगी।

उपखण्ड अधिकारी
चिखली जि. डूंगरपुर

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर आवेदक का नाम अन्य दस्तावेजों में दर्ज नाम के आधार पर दुरस्त किये जाने का आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि–

–:आदेश:–

मौजा चिखली में जमाबंदी संवत् 2074–2077 के स्थित खाता संख्या नया 623, खसरा नम्बर क्रमशः 2989, 3041, 3052, 3070, 3099, 3216, 3318, 3319, 3332, 3361, 3398, 3420, 3474, 3500, 4353/2982 खेत किता 15 कुल रकबा 1.9011 हैक्टेयर में इन्द्राज दुरस्ती कर वेलजी पिता रतनजी को विलोपित किया जाकर रेवेन्यू रिकॉर्ड में आवेदक के नाम विष्णुराम पिता रतनजी पाटीदार अंकित किये जाने का आदेश पारित किया जाता है। अप्रार्थी के नाम स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थी आवेदक के स्वामित्व के खाता संख्या 623, खसरा नम्बर क्रमशः 2989, 3041, 3052, 3070, 3099, 3216, 3318, 3319, 3332, 3361, 3398, 3420, 3474, 3500, 4353/2982 पर किसी प्रकार से अतिक्रमण न करे, आवेदक को बेदखल न करे।

आज दिनांक 22/04/2021. को उक्त निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया है।

(धीरेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली